न्यायालय अतिरिक्त जिला मजिस्ट्रेट (प्रशासन) श्री गंगानगर।

पीठासीन अधिकारी : श्रीमती रीना, आर0ए0एस0

ई0सी0एक्ट प्रकरण सं0 20/2024

राज्य सरकार जरिये कविता, जिला रसद अधिकारी श्रीगंगानगर

प्रार्थी

बनाम

1. श्री तरसेम सिंह पुत्र श्री गुरदीप सिंह, जाति जटसिख, निवासी 22 केएसडी, गदरखेड़ा, सादुलशहर।
2. संदीप कुमार पुत्र श्री मामराज, जाति नायक, निवासी 22 केएसडी, गदरखेड़ा, सादश्लशहर।

अप्रार्थी

प्रकरण अन्तर्गत धारा 6 ए आवश्यक वस्तु अधिनियम, 1955 के तहत जब्तशुदा सामग्री 31 लीटर पेट्रोल मय 04 प्लास्टिक कैनी, 04 लोहे के माप एवं 02 प्लास्टिक कीप को राजसात करने बाबत।

उपस्थित : प्रवर्तन अधिकारी, विभागीय प्रतिनिधि
अप्रार्थी अधिवक्ता हरीश कुमार सोनी

निर्णय दिनांकः 31.01.2025

प्रस्तुत प्रकरण के सुसंगत तथ्य संक्षेप में इस प्रकार हैं कि दिनांक 25.09.2024 को अवैध पेट्रोल व डीजल की बिकी की शिकायतों की जांच हेतु जिला रसद अधिकारी, श्रीगंगानगर मय प्रवर्तन स्टॉफ तहसील सादुलशहर में स्थित दुकान अग्रवाल पशु आहार सेंटर पतली नाका रोड़ पर पहुँचें। यह है कि वरवक्त मौका उक्त दुकान में उपस्थित व्यक्ति से पूछताछ पर उसने अपना परिचय श्री संदीप कुमार पुत्र श्री मामराज, जाति नायक, आयु 24 वर्ष, निवासी 22 केएसडी गदरखेड़ा, सादुलशहर बताया एवं उक्त दुकान का मालिक श्री तरसेम सिंह पुत्र श्री गुरदीप सिंह, आयु 50 वर्ष, जाति जटसिख निवासी 22 केएसडी, गदरखेड़ा, मोबाईल 9929682371 तहसील सादुलशहर जिला श्रीगंगानगर नामक व्यक्ति का होना बताया। जिससे जरिये दूरभष वार्ता करने पर बताया कि यह दुकान उसकी है तथा उसके द्वारा पंजाब से पेट्रोल लाकर सस्ते दामों पर विक्रय किया जाता है। मौके पर उक्त व्यक्ति उपस्थित नहीं हुआ। वरवक्त मौका श्री संदीप कुमार पुत्र श्री मामराज की उपस्थिति में उक्त दुकान की जांच की गई। मौके पर उक्त दुकान में 04 प्लास्टिक कैनी में पेट्रोल भण्डारित पाया गया। वक्त पूछताछ श्री तरसेम सिंह ने उक्त 04 प्लास्टिक कैनी में ड्रम में कुल 31 लीटर पेट्रोल होना बताया। वरवक्त पूछताछ मौके पर श्री संदीप कुमार ने बताया कि उसके द्वारा पंजाब के पेट्रोल पंप से सस्ते दामों पर पेट्रोल क्रय कर लाना तथा उपभोक्तओं के विक्रय करना बताया। मौके पर श्री संदीप कुमार द्वारा पेट्रोल के भण्डारण / बेचान संबंधी कोई भी अनुज्ञा पत्र/परमिट प्रस्तुत नहीं किया गया। मौके पर श्री संदीप कुमार से उक्त प्लास्टिक बोतलो में कुल 31 लीटर पेट्रोल मय 04 प्लास्टिक कैनी 04 लोहे के माप, एवं 02 प्लास्टिक कीप को को जरिये फर्द जब्ती जब्त किये गये। जब्त पेट्रोल व डीजल ज्वलनशील प्रकृति होने के कारण समस्त 31 लीटर पेट्रोल मयः 04 प्लास्टिक कैनी, 04 लोहे के माप एवं 02 प्लास्टिक कीप को श्री सन्नी शर्मा पुत्र श्री दीनदयाल शर्मा उम्र 34 साल जाति ब्राहमण पेशा मैनेजर श्री कृष्णा फीलिंग स्टेशन, सादुलशहर जिला श्रीगंगानगर की सुपुर्दगी में दिया गया। फर्द सुपुर्दगीनामा अलग से तैयार किया गया। अतः श्री तरसेम सिंह एवं श्री संदीप कुमार द्वारा बिना अनुमति/अनुज्ञापत्र के पेट्रोल का बेचान करना मोटर स्प्रिट और उच्च वेग डीजल (प्रदाय

अति० जिला कलक्टर (प्रशा०)
श्रीगंगानगर

और वितरण का विनियमन और अनाचार निवारण) आदेश 2005 के खण्ड 2 (थ), 3(4), 4 का स्पष्ट उल्लघंन है। अतः आवश्यक वस्तु अधिनियम, 1955 की धारा 6ए के तहत मौके पर जब्त किये गये कुल 31 लीटर पेट्रोल मय 04 प्लास्टिक कैनी, 04 लोहे के माप, एवं 02 प्लास्टिक कीप को राजसात करने का आदेश फरमायें।

परिवाद प्राप्त होने पर दर्ज रजिस्टर किया गया। अप्रार्थी के अधिवक्ता को परिवाद की प्रति उपलब्ध कराई गई।

अप्रार्थी के अधिवक्ता ने अपनी बहस में कथन किया कि प्रार्थी उपरोक्त पेट्रोल व डीजल अपने स्वयं के साधन में उपयोग में लेने के लिए रखा हुआ था। प्रार्थी किसी प्रकार का पेट्रोल व डीजल के कय विकय का कारोबार नहीं करता है। प्रार्थी की दुकान में जो माप ,कीप आदि है वह अपने साधन में पेट्रोल डीजल डालने की सुविधा के लिए रखा हुआ है, किसी ने प्रार्थी से रंजिश रखते हुए यह कार्यवाही करवाई है, जबकि प्रार्थी न तो पूर्व में पेट्रोल व डीजल का विकय किया व ना ही वर्तमान में कर रहा है। अतः प्रार्थी के उपरोक्त कथनों को ध्यान में रखते हुए प्रार्थी को दिये गये नोटिस की कार्यवाही को ड्रोप फरमाते हुए नोटिस दाखिल दफतर फरमाया जावें।

राजकीय पैरोकार ने अपने बहस में व्यक्त किया है कि दिनांक 25.09.2024 को अवैध पेट्रोल व डीजल की बिकी की शिकायतों की जांच हेतु जिला रसद अधिकारी, श्रीगंगानगर मय प्रवर्तन स्टॉफ तहसील सादुलशहर में स्थित दुकान अग्रवाल पशु आहार सेंटर पतली नाका रोड़ पर पहुँचें। यह है कि वरवक्त मौका उक्त दुकान में उपस्थित व्यक्ति से पूछताछ पर उसने अपना परिचय श्री संदीप कुमार पुत्र श्री मामराज, जाति नायक, आयु 24 वर्ष, निवासी 22 केएसडी गदरखेड़ा, सादुलशहर बताया एवं उक्त दुकान का मालिक श्री तरसेम सिंह पुत्र श्री गुरदीप सिंह, आयु 50 वर्ष, जाति जटसिख निवासी 22 केएसडी, गदरखेड़ा, मोबाईल 9929682371 तहसील सादुलशहर जिला श्रीगंगानगर नामक व्यक्ति का होना बताया। जिससे जरिये दूरभष वार्ता करने पर बताया कि यह दुकान उसकी है तथा उसके द्वारा पंजाब से पेट्रोल लाकर सस्ते दामों पर विक्रय किया जाता है। मौके पर उक्त व्यक्ति उपस्थित नहीं हुआ। वरवक्त मौका श्री संदीप कुमार पुत्र श्री मामराज की उपस्थिति में उक्त दुकान की जांच की गई। मौके पर उक्त दुकान में 04 प्लास्टिक कैनी में पेट्रोल भण्डारित पाया गया। वक्त पूछताछ श्री तरसेम सिंह ने उक्त 04 प्लास्टिक कैनी में ड्रम में कुल 31 लीटर पेट्रोल होना बताया। वरवक्त पूछताछ मौके पर श्री संदीप कुमार ने बताया कि उसके द्वारा पंजाब के पेट्रोल पंप से सस्ते दामों पर पेट्रोल क्रय कर लाना तथा उपभोक्तओं के विक्रय करना बताया। मौके पर श्री संदीप कुमार द्वारा पेट्रोल के भण्डारण / बेचान संबंधी कोई भी अनुज्ञा पत्र/परमिट प्रस्तुत नहीं किया गया। मौके पर श्री संदीप कुमार से उक्त प्लास्टिक बोतलो में कुल 31 लीटर पेट्रोल मय 04 प्लास्टिक कैनी 04 लोहे के माप, एवं 02 प्लास्टिक कीप को को जरिये फर्द जब्ती जब्त किये गये। जब्त पेट्रोल व डीजल ज्वलनशील प्रकृति होने के कारण समस्त 31 लीटर पेट्रोल मयः 04 प्लास्टिक कैनी, 04 लोहे के माप एवं 02 प्लास्टिक कीप को श्री सन्नी शर्मा पुत्र श्री दीनदयाल शर्मा उम्र 34 साल जाति ब्राहमण पेशा मैनेजर श्री कृष्णा फीलिंग स्टेशन, सादुलशहर जिला श्रीगंगानगर की सुपुर्दगी में दिया गया। फर्द सुपुर्दगीनामा अलग से तैयार किया गया। अतः श्री तरसेम सिंह एवं श्री संदीप कुमार द्वारा बिना अनुमति/अनुज्ञापत्र के पेट्रोल का बेचान करना मोटर स्प्रिट और उच्च वेग डीजल (प्रदाय और वितरण का विनियमन और अनाचार निवारण) आदेश 2005 के खण्ड 2 (थ), 3(4), 4

अति० जिला कलक्टर (प्रशा०)
श्रीगंगानगर

न्यायालय अतिरिक्त जिला कलक्टर (प्रशासन) श्रीगंगानगर (राज.)

का स्पष्ट उल्लघंन है। अतः अप्रार्थी से मौके पर जब्त किये गये मौके पर जब्त किये गये कुल 31 लीटर पेट्रोल मय 04 प्लास्टिक कैनी, 04 लोहे के माप, एवं 02 प्लास्टिक कीप को राजसात करने का आदेश फरमावें।

बहस पर मनन किया गया। पत्रावली का गहनता से अवलोकन किया गया।

अभिलेख के अवलोकन से पाया गया कि दिनांक 25.09.2024 को अवैध पेट्रोल व डीजल की बिकी की शिकायतों की जांच हेतु जिला रसद अधिकारी, श्रीगंगानगर मय प्रवर्तन स्टॉफ तहसील सादुलशहर में स्थित दुकान अग्रवाल पशु आहार सेंटर पतली नाका रोड़ पर पहुँचें। यह है कि वरवक्त मौका उक्त दुकान में उपस्थित व्यक्ति से पूछताछ पर उसने अपना परिचय श्री संदीप कुमार पुत्र श्री मामराज, जाति नायक, आयु 24 वर्ष, निवासी 22 केएसडी गदरखेड़ा, सादुलशहर बताया एवं उक्त दुकान का मालिक श्री तरसेम सिंह पुत्र श्री गुरदीप सिंह, आयु 50 वर्ष, जाति जटसिख निवासी 22 केएसडी, गदरखेड़ा, मोबाईल 9929682371 तहसील सादुलशहर जिला श्रीगंगानगर नामक व्यक्ति का होना बताया। जिससे जरिये दूरभष वार्ता करने पर बताया कि यह दुकान उसकी है तथा उसके द्वारा पंजाब से पेट्रोल लाकर सस्ते दामों पर विक्रय किया जाता है। मौके पर उक्त व्यक्ति उपस्थित नहीं हुआ। वरवक्त मौका श्री संदीप कुमार पुत्र श्री मामराज की उपस्थिति में उक्त दुकान की जांच की गई। मौके पर उक्त दुकान में 04 प्लास्टिक कैनी में पेट्रोल भण्डारित पाया गया। वक्त पूछताछ श्री तरसेम सिंह ने उक्त 04 प्लास्टिक कैनी में ड्रम में कुल 31 लीटर पेट्रोल होना बताया। वरवक्त पूछताछ मौके पर श्री संदीप कुमार ने बताया कि उसके द्वारा पंजाब के पेट्रोल पंप से सस्ते दामों पर पेट्रोल क्रय कर लाना तथा उपभोक्तओं के विक्रय करना बताया। मौके पर श्री संदीप कुमार द्वारा पेट्रोल के भण्डारण / बेचान संबंधी कोई भी अनुज्ञा पत्र/परमिट प्रस्तुत नहीं किया गया। मौके पर श्री संदीप कुमार से उक्त प्लास्टिक बोतलो में कुल 31 लीटर पेट्रोल मय 04 प्लास्टिक कैनी 04 लोहे के माप, एवं 02 प्लास्टिक कीप को को जरिये फर्द जब्ती जब्त किये गये। जब्त पेट्रोल व डीजल ज्वलनशील प्रकृति होने के कारण समस्त 31 लीटर पेट्रोल मयः 04 प्लास्टिक कैनी, 04 लोहे के माप एवं 02 प्लास्टिक कीप को श्री सन्नी शर्मा पुत्र श्री दीनदयाल शर्मा उम्र 34 साल जाति ब्राहमण पेशा मैनेजर श्री कृष्णा फीलिंग स्टेशन, सादुलशहर जिला श्रीगंगानगर की सुपुर्दगी में दिया गया।

इस प्रकार अप्रार्थी तरसेम सिंह व श्री संदीप कुमार ने बिना अनुमति/अनुज्ञापत्र के पेट्रोल का बेचान करना मोटर स्प्रिट और उच्च वेग डीजल (प्रदाय और वितरण का विनियमन और अनाचार निवारण) आदेश 2005 के खण्ड 2 (थ),3 (4), 4 का स्पष्ट उल्लधन है। अतः अप्रार्थीगण से मौके पर जब्त किये गये 31 लीटर पेट्रोल मयः 04 प्लास्टिक कैनी, 04 लोहे के माप एवं 02 प्लास्टिक कीप को राजसात करने का आदेश दिया जाता है। आदेश की प्रति जिला रसद अधिकारी, श्री गंगानगर को पालनार्थ भेजी जावे।

निर्णय आज दिनांक 31.01.2025 को मेरे द्वारा लिखाया जाकर सरे इजलास सुनाया गया ।

(रीना)
अति0 जिला मजिस्ट्रेट
(प्रशासन), श्रीगंगानगर

अति० जिला कलक्टर (प्रशा०)
श्रीगंगानगर

न्यायालय अतिरिक्त जि... गंगानगर (राज.)